न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

सप्लाई विविध संख्या 06/2020 (2020/00083)

प्रार्थी :–

उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (सामान्य), कार्यालय उप निदेशक कृषि, (विस्तार) जि0 प0 जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी :–

जैताराम पुत्र चेनाराम, जाति जाट, निवासी रामसर, लोडता, पंचायत समिति सेखाला, जिला जोधपुर, राजस्थान।

उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के नियमों का उल्लंघन करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 के तहत् कार्यवाही हेतु।

उपस्थिति :–

1. सरकारी पैरोकार उपस्थित।
2. अप्रार्थी नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक :– 21.02.2023

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के नियमों का उल्लंघन करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 के तहत् कार्यवाही हेतु पेश किया। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 26.05.2020 को उप निदेशक कृषि (वि0) जि0 प0 जोधपुर द्वारा अवगत कराया गया कि देवातु फाटा, चामू, देचू रोड़, रामसर लोडता में अवैध रूप से उर्वरक डी.ए.पी. भण्डारित कर बेचने की सूचना दूरभाष पर प्राप्त हुई है जिसकी जांच व कार्यवाही किये जाने की अधोहस्ताक्षरकर्ता को दिशा–निर्देश दिये गये। इस पर कृषि विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर प्रकरण की जांच पड़ताल की।

जांच में पाया गया कि किसान जैताराम पुत्र चैनराम, जाति जाट, निवासी रामसर लौडता के घर के पास बने गोदाम में डी.ए.पी. (आई.पी.एल.) के 310 बैग अवैध रूप से भण्डारित किया गया। जैताराम से डी.ए.पी. उर्वरक के बारे

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 13:53:23 IST
Reason: SelfAttested

में पूछने पर बताया कि उक्त उर्वरक कुचामन सिटी निवासी मदनजी का है। उनको दुकान एवं गोदाम किराये पर दिया हुआ है। मौके पर न तो कोई उर्वरक लाईसेन्स न कोई क्रय बिल उपलब्ध कराये गये। मौके पर डी.ए.पी. 18:46 उर्वरक का नमूना जिसका कोड संख्या AKS/F-1/20 था आहरित किया गया। उक्त नमूने को गुणवता जांच हेतु कोटा प्रयोगशाला भिजवाया गया। प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार नमूना मानक पाया गया। FCO 1985 की धारा 28 (1) (D) के अनुसरण में अवैध भण्डारित डी.ए.पी. (आई.पी.एल.) के 310 बैंग (प्रत्येक 50 किलोग्राम) को जब्त कर कृषि पर्यवेक्षक कार्यालय चामू जिला जोधपुर को सुपुर्द किया गया। उर्वरक नियंत्रण आदेश के क्लोज 7 के उल्लंघन करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 एवं 7 के तहत थाना देचू जोधपुर ग्रामीण में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। जिसके एफ.आई.आर. नं. 0089 दिनांक 27.07.2020 है।

अप्रार्थी द्वारा जैविक खाद/उर्वरकों का अवैध रूप से भण्डारण एवं विक्रय कर उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 की धारा 7, 14 एवं 15 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 का उल्लंघन किया गया है। अन्त में उपरोक्त वर्णित डी.ए.पी. को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 के तहत राजसात् करने तथा उक्त उर्वरक को उचित माध्यम से जरूरतमन्द किसानों को बिकवाकर राशि राजकोष में जमा कराने का आदेश फरमावे।

विभागीय पैरोकार द्वारा यह इस्तगासा न्यायालय जिला कलक्टर, जोधपुर के यहां प्रस्तुत करने पर श्रीमान जिला कलक्टर जोधपुर के पत्र क्रमांक/डीएम/रीडर/20/1207 दिनांक 07.10.2020 को सुनवाई हेतु स्थानान्तरण करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

उक्त तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप जैविक खाद/उर्वरक का भण्डारण किया जा रहा था, जो उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985, के उपाबंध 7 का उल्लंघन किया गया है। जैविक खाद/उर्वरकों का अवैध रूप से विक्रय कर उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 की धारा 14 एवं 15 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 का उल्लंघन किया गया है।

अतः उर्वरक निरीक्षक एवं [illegible] अधिकारी (सामान्य), कार्यालय उप निदेशक कृषि, (विस्तार) [illegible] प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 13:53:23 IST
Reason: SelfAttested

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 के तहत जब्तसुदा डी.ए.पी. (आई. पी.एल.) के 310 बैग (प्रत्येक 50 किलोग्राम) को राजसात् (Confiscation) किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा उक्त उर्वरक को उचित माध्यम से जरूरतमंद किसानो को विक्रय कर प्राप्त राषि राजकोष के निर्धारित मद में जमा करवाई जावें। आदेश की पालना रिपार्ट एक माह में प्रस्तुत करें।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

आदेश आज दिनांक 21.02.2023 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 13:53:23 IST
Reason: SelfAttested